

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक ¹²²⁵ /स्था.एक/पटवारी/30409/2020

ग्वालियर दिनांक 21/8/2020

प्रति,

कलेक्टर

भू-अभिलेख

जिला समस्त

मध्यप्रदेश

विषय :-कोरोना महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा न होने से पटवारियों को सेवा से पृथक न करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पटवारी परीक्षा 2018 में नियुक्त पटवारियों को अनिवार्य अर्हता सीपीसीटी की परीक्षा दो वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु वर्तमान में कोरोना की महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा दिनांक 01.03.20 के बाद आयोजित नहीं की जा सकी है।

अतः ऐसी स्थिति में किसी भी पटवारी को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण पटवारियों के विरुद्ध सेवा से पृथक करने की कार्यवाही न की जाए। अतः उक्त पटवारियों को विशेष परिस्थितियों के कारण सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाता है यह अन्य प्रकरणों में लागू नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra.
Patil
Date: 2020.07.31 12:39:33 IST

आयुक्त
ज्ञानेश्वर बी. पाटील
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
अ.प्र. ग्वालियर

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(D8P), COMMISSIONER LAND RECORD

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil

Secretary

COMMISSIONER LAND RECORD

COMMISSIONER

dbpatil@nic.in